

फर्दे अहकाम

(नियम 26)

दालत उपखंड कृषिकारी सिकराय दोम
 सरकार बनाम जागरीके विमलसिंह
 मुकदमा ९११ मु० नं० ५४२/१६

न	बंदर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>2-3-2024</p> <p>पत्रावली पेशा/करी इकायपत्र उपा साहयप्रतिपत्ती के त्रिरह की गर्ग। कसेवदर दादा रि० १.३.२०२४ से पत्रावली</p> <p>9/2 पत्रावली पेशा कहल दादा चुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 16.3.24 का पेशा हो।</p> <p>16/2 पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। वाद के तथ्यों व कहल का अवलोकन किया गया। वादी जगदाम ग्राम नहरखोखा के खाता सं. 399 व 400 में पिता उहेवादी सं. 1 397 398 रामलाल पुत्र मोहरया मीठा के नाम दर्ज भूमि में सं 75 हिस्सा की खातेदारी घोषणा व स्थायी निवेदात्रा का अनुवेष दादा है। वादी न वाद के साथ सम्बंधित राजल आभिलेख संलग्न किये हैं। उहेवादीगठा न दि. 13.9.19 की जवाबदावा पेशा कर उति. सं. 7 का हिस्सेदार नहीं मानने उति. सं. 1 के चार पुत्र व चार पुत्रीयों होने का कथन करते हुये वाद वादी कडपा नहीं होने के आधार पर खारिज करने का आग्रह किया है। दि. 10.12.19 की वनकी बनाकर विवेचित की गयी। वाद का वनकीवार विवेचन निम्न प्रकार वनकी सं. 1 -> आया वादी उशनवाव भूमि में उति. सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में सं 75 हिस्सा की खातेदारी उद्घोषणा का आधार है वादी</p>	

दस्तावेज (खोजवाली)

जगदाम



फदे अहकाम

(नियम 26)

अदालत 344903A पी.सी.सी. सिकराय (दोहा)
 अजराम
 सरकास बनाम रामलाल न.पी.ए.ए.
 म मुकदमा 188.3.188.R.T.A. मु० नं० 482/16

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	-----------------------------------	---

उत्तरवादीगण ने अवाकडावा में विशेष विवरण का कथन करते हुये पति. सं. 1 के पुत्र लखमी के फौज होने व वादी से जादा का उल्लेख करते हुये वाद वादी खारिज करने का आग्रह किया है।
 वाद में पति. सं. 7 अमेदी बेवा लखमी के रूप में वर्तित उत्तरवादी संयोजित है। पति. सं. 7 अमेदी अपने स्वर्गीय पति लखमी के अन्तर्गत वासिद होने के नाते परमगत भूमि में से 1/9 हिस्सा पाने की हकदार है।
 अतः यह तमकी विरुद्ध उत्तरवादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

ग्राम माहखोटा के खाता सं. $\frac{399}{397}$ व $\frac{400}{398}$ में उत्तरवादी सं. 1 रामलाल पुत्र मोहखा के नाम दर्ज भूमि में पति. सं. 1 रामलाल, अजराम पुत्र रामलाल, कमलेश पुत्र रामलाल, अजराम उर्फ डालू (फौज होने के कारण असर्क वारिधान पति. सं. 2 ता 4), अमेदी बेवा लखमी, मंगनबई पुत्री रामलाल, रामा पुत्री रामलाल, रामेश्वरी पुत्री रामलाल व सुनिता पुत्री रामलाल पक्षों का 1/9 का खातेदार घोषित किया जाता है।
 पति. सं. 1 द्वारा अपने 1/9 हिस्से पर आधीक भूमि के रहम किया। हस्तान्तरण करने की रिश्तों में सहमति प्रया. में किया गया। रहम निरस्त करण का वाद जाने दे दे स्वतंत्र है।

— लगातार. . .

(रामलाल सिंह)
 16.3.21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स लज

जन्मदिनांक

उनवान सरकार बनाम रामलाल जी...

889 188 RTA

तारीख हुक्म

मुकदमा नं० 482/16 निर्णय दि०..... 16.3.21

उपरो. सं. 1 रामलाल पुत्र मोरिया केरवाणी
मिसेदासा से पत्र लिखा जावा है कि वो
पश्नगत भूमी में अपने पत्र 19 दिनांक से
आधीक भूमी का रहना किया नहीं करे।

निर्णय आज दि. 16.3.21 को सुप्रीम
कोर्ट में सुनाया गया।

(Signature)
रामलाल (कि)
16.3.21